

"विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/भुई/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 149]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 अप्रैल 2017 — वैशाख 2, शक 1939

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2017

अधिसूचना

क्रमांक 1567/1156/टी/19/2017/तक-4. — छत्तीसगढ़ राजमार्ग अधिनियम, 2003 (क्र. 12 सन् 2003) की धारा 3 के खण्ड (तीन) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, रायपुर से घनेली विधान सभा मार्ग के जंक्शन (लंबाई 13.70 कि. मी.) तक को मुख्य जिला मार्ग घोषित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2017

क्रमांक 1567/1156/टी/19/2017/तक-4. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1567/1156/टी/19/2017/तक-4, दिनांक 22-4-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप-सचिव.

IndiaCode

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2017

Naya Raipur, the 22nd April 2017

NOTIFICATION

No. 1567/1156/T/19/2017/T-4. — In exercise of the powers conferred by clause (iii) of Section 3 of the Chhattisgarh State Rajmarg Adhiniyam, 2003 (No. 12 of 2003), the State Government, hereby, declares the road from Raipur to junction of Dhanchi Vidhansabha road, (length 13.70 k. m.) as major district road.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
J. M. LULU, Deputy Secretary.

IndiaCode

IndiaCode